

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

कमांक 3106/त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2013
प्रति,

रायपुर दिनांक 9-5-13

1. मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर।
2. अधीक्षण अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मण्डल

विषय :- वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में कार्य विभागों के प्रत्योजनों का संशोधन।

- संदर्भ :-
1. वित्त विभाग का ज्ञाप कमांक-35/सी/28276/वित्त/नियम/चार/ 2010, रायपुर दिनांक 02.02.2010 (वित्त निर्देश- 08/2010)
 2. वित्त विभाग का ज्ञाप कमांक-367/सी/28269/11/वित्त/नियम/चार/ 2011, दिनांक 11.11.2011 (वित्त निर्देश -50/2011)
 3. वित्त विभाग का ज्ञाप कमांक-152/एफ-2013-04-00071/वित्त/ नियम/ चार नया रायपुर, दिनांक 08 मई, 2013 (वित्त निर्देश-21/2013)


--00--

विषयांतर्गत वित्त निर्देश 21/2013 की छायाप्रति संलग्न है, कृपया अवलोकन करें। वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों में से वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 11.11.2011 द्वारा अनुकमांक 88 के अंतर्गत प्रत्यायोजित अधिकारों में अधीक्षण अभियंता एवं जिला कलेक्टरों को संलग्न प्रपत्रानुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों के लिए वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं। पूर्व में सौंपे गये अन्य प्रत्यायोजन यथावत रहेंगे।

कृपया वित्त निर्देशानुसार उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। वित्त निर्देश 21/2013 को अधीनस्थ कार्यालयों को अपने स्तर से सूचित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता द्वारा प्रारूप अनुमोदित


प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 152/एफ-2013-04-00071/वित्त/नियम/चार

नया रायपुर, दिनांक 8 मई, 2013

प्रति,

1. सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, रायपुर ।
2. प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में कार्य विभागों के प्रत्यायोजनों का संशोधन ।

संदर्भ:- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 35/सी-28276/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 02.02.2010


वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 367/सी-28267/11/वित्त/नियम/चार, दिनांक 11.11.2011

वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों में से वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 11.11.2011 द्वारा अनुक्रमांक 88 के अन्तर्गत प्रत्यायोजित अधिकारों में अधीक्षण अभियंता एवं जिला कलेक्टरों को संलग्न प्रपत्र अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों के लिए वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं । पूर्व में सौंपे गये अन्य प्रत्यायोजन यथावत रहेंगे ।

2. विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों/शाखाओं को अपने स्तर पर सूचित करें ।
3. यह संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

संलग्न:- एक प्रपत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डॉ. ए.के. सिंह)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग

